

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

बनाम

केसम् मुकदमा :-

मिसल नं०

/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुकम की तारीख में जारी हुये
21/6/23	<p>अधिवक्ता अमीलां 2 व अधिवक्ता शैलोजी 1 से 8 उपरि-बर्त। शैलोजी 3 व 4 उपरि-बर्त। शैलोजी 3 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री हज विहारी गौन्वर द्वारा की गई। शैलोजी 3 व 4 ने दिनांक 16/6/23 को शर्मिला पत्र पारित करी है स्वरुप किने भाते वावर पैम का निवेदन किया कि मधीतरम न्यायालय में मूठ करों का निरुत्तरण ले जाया है निम्नलिखित विचारणीय करी करारही ले भाते से स्वरुप की भाते। शैलोजी 3 व 4 ने मधीतरम न्यायालय के उत्तरण संख्या 48/2021 उत्तरात् राहनाल वगे. बनात बरपुर करीम वगे. में निर्णय दिनांक 7/6/23 की कल्प उहिरीलीपि पैम की है। मधीतरम न्यायालय के अग्रिम दिनांक 7/6/23 में वाडीगण द्वारा उक्त उत्तरण की विज्ञे करों का शापत्र उत्तर करों पर मधीतरम न्यायालय द्वारा वाडीगण के शर्मिला पत्र पर उक्त उत्तरण की विज्ञे करों को स्वरुप किया गया है। शैलोजी 3 व 4 द्वारा उत्तर करों पर अधिवक्ता अमीलां 2 ने अपनी स्वरुप उक्त करों उक्त उक्त करी करारही ले भाते से स्वरुप करों का निवेदन किया। अधिवक्ता अमीलां 2 द्वारा स्वरुप उक्त करों से उक्त करी करारही ले भाते से स्वरुप की जारी है। पत्राली वाड निर्णय करारही वावर हो व न्याय से करों।</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Handwritten Signature)</i> (आशिक मेहमुद शैलोजी - 3 (वृजाधिपति गौन्वर स्वरुप)</p> <p style="text-align: center;"><i>(Handwritten Signature)</i></p>

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा